BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | June 2019 | No. 06

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जैन इन्टरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जैन समाज, पटना की ओर से 18 शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित, दी गयी आर्थिक मदद

शहीदों के परिजनों को सम्मान देना सभी का कर्त्तव्य – पी. के. अग्रवाल

चेक प्राप्त किये सम्मानित शहीदों के साथ माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, सी.आर.पी.एफ. के डीआईजी (एडमिन) श्री नीरज कुमार, जीतो के निदेशक श्री रवि जैन, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, संयोजक श्री अजीत जैन एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (J.I.T.O.) एवं जैन समाज, पटना के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16 जून 2019 को चैम्बर के साहू जैन सभागार में पुलवामा एवं अन्य स्थानों पर बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के सीआरपीएफ के 18 शहीदों के प्रत्येक परिजनों को 3,80,000/- रूपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, सी.आर.पी.एफ. के डीआईजी (एडमिन) श्री नीरज कुमार, जीतो के निदेशक श्री रवि जैन और संयोजक श्री अजीत जैन ने संयुक्त रूप से किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि शहीदों के परिजनों को सम्मान देना सभी का कर्त्तव्य है। हमारे जाँबाज सैनिक अपने घर-परिवार से दूर दिन-रात सरहदों पर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं तभी हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं।

समारोह में J.I.T.O. एपेक्स संस्था के निदेशक श्री रवि जैन ने शहीदों के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जवानों का शहीद होना एक अपूरणीय क्षति है और ऐसी विपत्ति में परिवार का दुःख अकल्पनीय होता है। जवानों ने जिस अदम्य साहस एवं विश्वास के साथ देश की सेवा की है वह वास्तव में गौरवपूर्ण है।

अपने संबोधन में माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव ने कहा कि पहले की अपेक्षा आज देश के सैनिकों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंक को पनाह दे रहा है। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि कारगिल युद्ध के पहले शहीदों का शव उनके घर नहीं आ पाता था। पूर्व प्रधानमंत्री स्व० अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कारगिल युद्ध के बाद जवानों का शव उनके घर, पूरे सम्मान के साथ आने लगा है। समाज का दायित्व है, उनके परिजनों के साथ हर पल खड़े रहें। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि शहीदों को दी जाने वाली धनराशि उनकी क्षतिपूर्ति नहीं है। शहीदों की क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते। यह धन राशि उन्हें सम्मान के रूप में दी गयी है।

माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक ने अपने संबोधन में शहीदों के परिजनों को नमन किया और कहा कि आज देश केवल सैनिकों के कारण ही सुरक्षित है। शहीद सैनिकों ने किसी धर्म या किसी जाति की नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता की है। उनका जुड़ाव केवल देश की सुरक्षा से होता है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीरता का ऋणी रहने की बात कही। समाज के हर व्यक्ति को शहीदों पर गर्व है।

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बन्धुओं,

16 जून 2019 (रविवार) को चैम्बर के साहू जैन हॉल में पुलवामा एवं अन्य स्थानों पर बिहार, झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के सी.आर.पी.एफ. के 18 शहीद जवानों के परिजनों को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जैन इन्टरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (JITO) एवं जैन समाज, पटना के संयुक्त तत्वावधान में सम्मानित किया गया एवं प्रत्येक शहीदों के परिजनों को 3,80,000/– रूपये का चेक प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में बिहार सरकार के माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक तथा सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. (एडमिन) श्री नीरज कुमार उपस्थित थे। शहीदों का सम्मान संबंधी विस्तृत रिपोर्ट इसी बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित है।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 3 जून 2019 को मेरे नेतृत्व में माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक को उद्योग विभाग का पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक के साथ चैम्बर में अभिनंदन–सह–संवाद कार्यक्रम दिनांक 13 जून 2019 को हुआ। बैठक काफी उपयोगी रही। इस कार्यक्रम की भी रिपोर्ट बुलेटीन में प्रकाशित है।

दिनांक 12 जून 2019 को चैम्बर एवं वाणिज्य–कर विभाग के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में GSTR – 9, 9A एवं 9C दाखिल करने हेतु एक कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वाणिज्य–कर विभाग के अधिकारियों ने GSTR फाईल करने की विस्तृत जानकारी दी। काफी सदस्यों ने इस कार्यशाला से लाभ उठाया। कार्यशाला में हीं मैने वाणिज्य–कर अधिकारियों से अनुरोध किया था कि लोगों को GSTR – 9, 9A एवं 9C को फाईल करने की जानकारी प्रदान करने हेतु चैम्बर प्रांगण में सहायता केन्द्र (HELP DESK) स्थापित करें जिसे अधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया और दिनांक 18 जून से 22 जून 2019 तक चैम्बर में Help Desk चलता रहा।

19 जून 2019 को SLBC की बैठक माननीय उप–मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई । मैंने उस बैठक में सम्मिलित होकर बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लेने के चलते व्यवसायियों को हो रही कठिनाईयों एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिहार के उद्योगों के 50 करोड़ रूपये से अधिक के लेन–देन वाले खातों को कोलकाता, दिल्ली एवं मुबंई ट्रांसफर किए जाने का गंभीर मामला भी उठाया, इससे 50 करोड़ से अधिक के उद्योगों का निवेश प्रभावित होगा और बिहार के औद्योगिकरण पर कुठाराघात होगा, जिसे माननीय उप–मुख्यमंत्री ने भी सही ठहराया और उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इस बात को रखने का आश्वासन भी दिया।

इसके अतिरिक्त चैम्बर द्वारा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं RBI को भी पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है एवं समाधान का अनुरोध किया गया है।

आजकल आपराधिक गतिविधियाँ पुनः सक्रिय हो गयी हैं जिसका शिकार विशेष रूप से व्यवसायी वर्ग हो रहा है। वैसे सरकार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपने स्तर पर प्रयासरत है। आप भी अपने स्तर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करें ताकि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

सी.आर.पी.एफ. के डीआईजी (एडमिन) श्री नीरज कुमार ने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी। उस समय शहीदों की खबर अखबार के प्रथम पृष्ठ तो छोड़िये, किसी कोने में भी नहीं छपती थीं अब जिस तरह से शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है और समाज का प्यार उनके परिजनों को मिल रहा है, वो हमारे लिए बोनस है। इसी आदर एवं सम्मान के चलते युवा पीढ़ी देश की सेवा में आगे आ रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

कार्यक्रम में जैन समाज की महिलाओं द्वारा शहीदों को समर्पित देशभक्ति की एक जीवंत नाटिका प्रस्तुत की गई। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति से लोगों की आँखे नम हो गयीं।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर, जीतो संस्था के सर्वेश जैन, प्रदीप जैन, योगेन्द्र जैन सहित जैन समाज, पटना के एम.पी. जैन सहित कई गण्यमान्य पुरूष एवं महिलाओं के अतिरिक्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन जीतो संस्था के श्री प्रदीप जैन ने किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं सी.आर.पी.एफ. के डीआईजी (एडमिन) श्री नीरज कुमार।

समारोह को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

समारोह को संबोधित करते माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव।

समारोह को संबोधित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक।

सम्मान समारोह को संबोधित करते
सी.आर.पी.एफ. के डीआईजी (एडमिन) श्री नीरज कुमार।

शहीद के परिजन को शॉल एवं चेक भेंट कर सम्मानित करते माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं अन्य।

शहीद के परिजन को दुपट्टा से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर।

जैन समाज की महिलाओं द्वारा शहीदों को समर्पित देश भक्ति की एक नाटिका की प्रस्तुति।

सभागार में उपस्थित चैम्बर, जीतो एवं जैन समाज के सदस्यगण तथा शहीदों के परिजन।

इन शहीदों के परिवारों को मिली आर्थिक मदद

अनिल कुमार मौर्या
(उत्तर प्रदेश)
छतीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में शहीद

रमेश यादव
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

महेश कुमार
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

राजेश कुमार विंद
(उत्तर प्रदेश)
छतीसगढ़ के सुकमा सेक्टर में
नक्सली हमले में शहीद

श्याम बाबू
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

रतन कुमार ठाकुर
(बिहार)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

पंकज कुमार त्रिपाठी
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

अजय कुमार यादव
(बिहार)
छतीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद

श्याम नारायण सिंह
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के रजौरी पुंछ में
आतंकी मुठभेड़ में शहीद

पिंटू कुमार सिंह
(बिहार)
जम्मु कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद

मनोज कुमार सिंह
(उत्तर प्रदेश)
छतीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में शहीद

रौशन कुमार
(बिहार)
औरंगाबाद के पचरूखिया जंगल में हुए
विस्फोट में शहीद

विजय कुमार मौर्या
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

मो० मोजाहिद खान
(बिहार)
श्रीनगर के करन नगर में हुए
सीआरपीएफ कैंप पर हमले में शहीद

धर्मेन्द्र यादव
(उत्तर प्रदेश)
छतीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद

संजय कुमार सिन्हा
(बिहार)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

अवधेश कुमार यादव
(उत्तर प्रदेश)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

विजय सोरेंग
(झारखण्ड)
जम्मु कश्मीर के पुलवामा में शहीद

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उद्योग मंत्री को बधाई दी

माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक को उद्योग विभाग का पदभार ग्रहण करने पर दिनांक 3 जून, 2019 के चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में हार्दिक बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री रामा शंकर प्रसाद शामिल थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वाणिज्य-कर विभाग, बिहार के सहयोग से GSTR-9, 9A एवं 9C पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

कार्यशाला में मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उनकी दाँयी ओर वाणिज्य-कर के अपर सचिव श्री अरूण मिश्रा, अपर आयुक्त श्री मार्कंडेय ओझा, अपर आयुक्त श्री संतोष कुमार तथा बाँयी ओर जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री आलोक कुमार पोद्दार एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वाणिज्य-कर विभाग के साथ मिलकर GST वार्षिक विवरणी (GSTR-9, 9A एवं 9C) पर चैम्बर सभागार में दिनांक 12 जून, 2019 (बुधवार) को कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर वाणिज्य-कर के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा, अपर आयुक्त राज्य-कर (हेड क्वाटर) श्री मार्कंडेय ओझा, अपर आयुक्त, राज्य-कर (प्रशासन) पूर्वी अंचल, श्री संतोष कुमार, एवं सहायक आयुक्त, राज्य-कर (हेड क्वार्टर) श्री अभिवन झा उपस्थित थे।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि GST के अधीन सभी निबंधित व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न GSTR-9, 9A और 9C फाईल करनी होती है। वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फाईल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2018 है। वैसे निबन्धित व्यक्ति जिनकी कुल सप्लाई 2 करोड़ से अधिक होती है उन्हें GSTR-9 के अतिरिक्त GSTR-9C फाईल करनी होती है जिसे चाटर्ड एकाउंटेंट या कास्ट एकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट कर सत्यापित करवाना होता है। इसी समस्या के आलोक में चैम्बर ने राज्य-कर विभाग के साथ मिलकर यह कार्यशाला आयोजित किया है। चैम्बर अध्यक्ष ने अधिकारियों से चैम्बर में हेल्प डेस्क खोलने का अनुरोध किया जिसे अधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया।

कार्यशाला में वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा ने उद्यमियों एवं व्यवसायियों को पावर प्वांइट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से GSTR-9, 9A एवं 9C के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फार्म के पार्ट के

अनुसार रिटर्न फाईल करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसी परेशानी के आलोक में रिटर्न फाईल करने की तारीख दो बार बढ़ाई गयी है। आगे तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है। श्री मिश्रा ने कहा कि सभी कर दाताओं को वर्ष 2017-18 अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक के लिए GST के अधीन वार्षिक रिटर्न फाईल करना है। इसमें खरीद, बिक्री, आइटीसी, भुगतान किये गये रिफण्ड के दावे आदि का विस्तृत ब्योरा देना है। GST नेटवर्क पोर्टल पर एक बड़ी सुविधा दी गयी है। कर दाताओं को पूर्व में दाखिल GSTR-1, GSTR-3B के आंकड़े पोर्टल द्वारा ऑटो पोपुलेट करते हुए उपलब्ध होगा। कर-दाताओं को इसमें जरूरी सुधार की भी सुविधा होगी। एक व्यवसायी के जवाब में बताया कि अगर 2019 मार्च तक 3B में क्लेम नहीं किया है तो GSTR-9 फाईल करते समय आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता।

चैम्बर के GST सब कमिटी के संयोजक श्री आलोक पोद्दार ने कई सुझाव दिये। अपर आयुक्त श्री मार्कंडेय ओझा, अपर आयुक्त, राज्य-कर (प्रशासन) पूर्वी अंचल श्री संतोष कुमार, राज्य-कर के सहायक आयुक्त श्री अभिनव झा ने व्यवसायियों के प्रश्नों के उत्तर दिये।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, डॉ० रमेश गाँधी, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार के अतिरिक्त चैम्बर के सदस्यगण तथा मीडिया बन्धु उपस्थित थे।

श्री आलोक कुमार पोद्दार, GST उप समिति के संयोजक के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यशाला सह प्रशिक्षण समाप्त हुआ।

धन्यवाद ज्ञापन करते चैम्बर के जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री आलोक कुमार पोद्दार।

माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक के साथ चैम्बर में संवाद

औद्योगिक विकास के लिए उठाए जायेंगे आवश्यक कदम – उद्योग मंत्री

माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में उपस्थित उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 13 जून, 2019 को नये उद्योग मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद श्री श्याम रजक के स्वागत हेतु चैम्बर सभागार में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी के हम आभारी हैं जिन्होंने अपने अति व्यस्त समय में से कुछ समय चैम्बर के सदस्यों के लिए निकालकर चैम्बर में पधारने की कृपा की। हमारे लिए हर्ष की बात है कि उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद माननीय मंत्री महोदय ने हमारे यहाँ पधारने की कृपा की। हम बिहार के समस्त व्यवसायियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में उद्योग विभाग काफी प्रगति करेगा और बिहार का औद्योगिकरण मूर्त्त रूप ले सकेगा।

उन्होंने कहा कि आज की बैठक का आयोजन हमने तो माननीय मंत्री महोदय का अभिनन्दन हेतु किया है पर हम चाहेंगे कि इस अवसर पर राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाये। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने उद्योग उप समिति के संयोजक श्री सुभाष पटवारी से ज्ञापन प्रस्तुत करने को कहा।

श्री सुभाष पटवारी ने ज्ञापन को माननीय उद्योग मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।

बैठक में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद ने माननीय उद्योग मंत्री को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उद्योगों के टर्म लोन के खातों को बैंक के महा प्रबन्धक के निर्देश पर 50 करोड़ से अधिक के लेन-देन वाले खाते को कोलकाता, दिल्ली एवं मुंबई ट्रांसफर किया जा रहा है जो एक गंभीर विषय है। अब तक ऐसे सात खातों का ट्रांसफर किया जा चुका है। अगर अविलम्ब इसे नहीं रोका गया तो बिहार में नये निवेशक नहीं आयेंगे।

माननीय मंत्री ने ज्ञापन के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बड़े उद्योग के लिए जमीन की कमी है, लेकिन इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रति झुकाव होना चाहिए ताकि औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास में गति बनी रहे। उन्होंने राज्य के औद्योगिक प्रगति हेतु चैम्बर से अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा की।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के औद्योगिक विकास के

लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार जल्द ही एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। राज्य सरकार शीघ्र ही उद्योगों एवं व्यापारियों की समस्याओं को दूर करेगी जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं। उद्यमियों की सभी मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी। औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव सार्थक कदम उठायेगी।

माननीय मंत्री ने सदस्यों द्वारा उठाए गये समस्याओं पर कहा कि अविभाजित राज्य के समय से ही औद्योगिक क्षेत्र में बिहार की उपेक्षा होती रही है। बैंकर्स हमारे राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में निवेश करते हैं। इन स्थितियों में सुधार लाया जायेगा। औद्योगिक भूखंड, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, जीएसटी रिइंबर्समेंट, जल के मामले में दुबारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने आदि के सम्बन्ध में शीघ्र विचार कर उद्यमियों का काम आसान किया जायेगा।

स्टेट बैंक द्वारा 50 करोड़ से अधिक के लेन-देन वाले खातों को बिहार से बाहर ट्रांसफर करना अपमान से कम नहीं है। इसके लिए बैंक प्रबन्धन के उच्चाधिकारियों से बात की जायेगी। यह तो बिहार के कारोबारियों का शोषण है। इस प्रावधान से राज्य में निवेश करने वाले नये निवेशों पर विपरित असर पड़ेगा। हमारे राज्य का पैसा दूसरे राज्य के खाते में रहे, यह न्याय संगत नहीं है, मामला काफी गंभीर है, जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले से अवगत कराया जायेगा।

माननीय मंत्री ने आगे कहा कि दलित उद्योग नीति बनाई गयी है, लेकिन उसका लाभ दलित उद्यमियों को नहीं मिल रहा है, इसे भी दूर किया जायेगा। एक व्यवसायी द्वारा दवा उद्योग की स्थापना राज्य में कराने की बात पर माननीय मंत्री ने कहा कि 23 जून, 2019 को लंदन की एक दवा कम्पनी ब्राभो फार्मा अपना कारखाना मोतिहारी में स्थापित करने जा रही है। उन्होंने ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं पर कहा कि राज्य सरकार सभी मुद्दों पर विचार करेगी।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री, श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री उत्पल सेन, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री आशीष शंकर, डॉ० रमेश गाँधी, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री सांवल राम ड्रोलिया, श्री सत्य प्रकाश, कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर के सदस्य एवं प्रेस बन्धु उपस्थित थे।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम समाप्त हुआ।

माननीय उद्योग मंत्री को चैम्बर द्वारा समर्पित ज्ञापन

(1) उद्योग के भूमि के संबंध में :-

i. विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनरीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है। औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है। उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस-पास हो।

गत दिनों में उद्योग विभाग ने औद्योगिक भूमि का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के संबंध में एक प्रस्ताव निबंधन विभाग को भेजा है जिसमें औद्योगिक भूखंड के लिए निर्धारित होने वाले MVR को कृषि कार्य के लिए निर्धारित MVR का 1.5 गुणा निर्धारित किए जाने की अनुशंसा है। अत: इसका कार्यान्वयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करते उद्योग उप समिति के संयोजक श्री सुभाष पटवारी।

सदस्यों को संबोधित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक।

ii. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है। हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :-

- भूमि बैंकों की स्थापना किया जाए।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे।
- ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जाये।
- औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह पर इलाकों को चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें।

– नई औद्योगिक इकाईयाँ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर-मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है।

2. **दूध प्रसंस्करण से सम्बंधित राज्य में लगने वाले प्रोजेक्ट के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में किए गये प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता**

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडीका - 3.1 के अंतगर्त Milk Processing & Dairy Product Manufacturing इकाई के स्थापना की बात कही गयी है, लेकिन साथ ही साथ इसी कंडीका में दिए गये Note इस प्रकार है :-

"For consideration under the priority sector, procurement of milk by the units shall not be carried out in areas where dairy co-operatives formed by COMFED are already in operation".

कंडीका नीति का उक्त प्रावधान निजी क्षेत्र के अधीन दूध प्रसंस्करण इकाई के स्थापना को हतोत्साहित करता है। वर्तमान में राज्य के 9 प्रमंडलों में से 6 प्रमंडल में दूध procurement करने से निजी क्षेत्र के दूध प्रसंस्करण इकाईयों पर रोक लगा रखा गया है। यह एक विरोधाभाष है कि जहां राज्य में उत्पादित होने वाले कुल दूध का मात्र 17 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है, वहीं राज्य में निजी क्षेत्र में लगने वाले इकाई को हतोत्साहित भी किया जा रहा है। अत: अनुरोध है कि नीति की उक्त कंडीका को संशोधित किया जाए, जिससे कि दूध प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश हो सके जो ultimately राज्य के औद्योगिकरण को गति देगा।

3. **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का Mid-Term Review हेतु :-**

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का पूर्व के औद्योगिक नीतियों के समान Mid-Term Review किया जाए।

4. **खरीद अधिमानता नीति :-**

अभी खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि टेंडर में Brand, Turnover & Turn-key इत्यादि की शर्तें लगायी जा रही है। अत: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में प्रावधानित खरीद अधिमानता नीति को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि स्थानीय उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके। खरीद अधिमानता नीति अंतर्गत ब्रांड, टर्न ओवर एवं टर्न-की की बाध्यता को दूर किया जाना चाहिए।

5. **बिहार में भी भारत सरकार के एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम हेतु बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में :-**

राज्यों में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत पेट्रोलियम आयात को कम करने एवं विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम (E.B.P) के अन्तर्गत शीरे से एथनॉल (डिनेचर्ड एनहाइड्रस अल्कोहल) का निर्माण किये जाने एवं पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाल मिश्रित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की प्रबल संभावनाओं, शीरे की प्रचुर उपलब्धता की दृष्टिगत उसका निस्तारण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अत: राज्य सरकार को भारत सरकार की इस योजना को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से बी-हैवी मोलासेस से भी एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाए। इसके लिए विभाग को राज्य के चीनी मिलों का भी आग्रह प्राप्त है।

6. **उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में :-**

राज्य में बैंकों के नकारात्मक सोच के कारण ऋण मिलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर ऋण नहीं मिलने से उद्योग के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अत: राज्य सरकार को राज्य के निगमों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का आग्रह है।

7. **BIADA से संबंधित सुझाव :-**

i BIADA द्वारा सुक्ष्म, एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को भूमि आवंटन किये जाने के बाद 10% राशि 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होती थी एवं 90% राशि को 20 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में बगैर किसी सूद के लिया जाता था लेकिन हाल में बियाडा द्वारा निर्गत एक कार्यालय आदेश के द्वारा उक्त भुगतान योजना में परिवर्तन करते हुए सुक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को उपलब्ध करायी गई रियायत को खत्म कर दिया गया है। नये आदेश के अनुसार अब सभी प्रक्षेत्र के उद्योगों को चाहे वो सूक्ष्म या लघु प्रक्षेत्र के श्रेणी में हो अथवा मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र में, उन्हें भूखंड आवंटन के बाद पहली किस्त के रूप में भूखंड के मूल्य का 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 7 वार्षिक किस्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करने का प्रावधान किया गया है। बियाडा द्वारा सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को आवंटित भूखण्ड के मूल्य के भुगतान की पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को पुन: लागू करने का आग्रह है।

ii बियाडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को आवंटित भूमि को उत्पादन में आने के कुछ वर्षों के उपरान्त उस इकाईयों के भूमि को फ्री होल्ड में स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

iii वर्तमान में BIADA द्वारा भूमि का आवंटन Manufacturing Sector के लिए किया जा रहा है परन्तु Investment का प्रस्ताव अन्य Sector तथा Service Sector से भी आ रहा है पर BIADA से जमीन नहीं मिलने के कारण Investment नहीं हो पा रहा है। Investment कराने के लिए इस सेक्टर के लिए भी भूमि आवंटन का विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

8. **GST का Reimbursement के संबंध में :-**

1 जुलाई 2017 से राज्य में VAT/Entry Tax के बदले Goods & Service Tax (GST) प्रभावी किया गया है लेकिन अभी तक GST के अन्तर्गत किये गये भुगतान के संबंध में उद्योगों के लिए Reimbursement से संबंधित कोई नीति नहीं होने के कारण इसका भुगतान लंबित है।

9. **विद्युत संबंधित सुझाव :-**

i. विद्युत की दरें प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए लेकिन इसकी दरें BERC DISCOMs के Financial Figures के आधार पर करती है। अत: सरकार से अनुरोध है कि इसके प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए राज्य में अवस्थित इकाईयों को समुचित Incentive दिया जाना चाहिए।

ii. बिजली की खपत के लिए संग्रह शुल्क के लिए बिजली आपूर्ति की दर केवल KWH/KVAH के लिए बनायी जानी चाहिए (Tariff of Electric supply should be made single part only by collecting charges for electricity consumed in terms of KWH/KVAH only). अभी KVA एवं KVAH के लिए अलग-अलग शुल्क देना होता है।

iii. राज्य में अवस्थित सभी इकाईयों (नया एवं पुराना) को पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के तहत बिजली में AMG/MMG से छूट प्राप्त था। अत: अनुरोध है कि पूर्व की भांति राज्य के सभी नई एवं पुरानी इकाईयों को AMG/MMG के Charges से छूट प्रदान किया जाना चाहिए।

10. **आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित सुझाव :-**

राज्य के अधिकधिक क्षेत्रों में चहुमुखी विकास यथा - सड़क, पुल एवं विद्युतीकरण के फलस्वरूप राज्य के उद्यमी विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन आदि का उद्यम लगा रहे हैं। अत: इन सेक्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

11. **केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण की अधिसूचना :-**

केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण की अधिसूचना 4910 दिनांक 12.12 2018 क्रमांक 2.3.1. में उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था सरकारी एजेन्सी से पूर्ण नहीं होने के कारण भूमिगत जल का अपने स्तर से व्यवहार करना अनिवार्य हो गया है। फलस्वरूप NOC लेना आवश्यक होता है लेकिन उसका नवीकरण प्रत्येक पाँच वर्षों में कराना जो आवश्यक है उससे उद्योगों को छूट प्रदान करना चाहिए एवं NOC एक बार जो करायी जाये वो सदैव के लिए हो।

उद्योगों की प्रगति हेतु आधुनिकीकरण, बदलाव, प्रसार आवश्यक होता है। इस कारण अधिसूचना का क्रमांक 2.3.1.xvi WCF लागू नहीं होना चाहिए और NOC के नवीकरण या बदलाव के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूमिगत जल का व्यवहार विभागीय पोर्टल पर हर वक्त उपलब्ध है। अत: इन प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है।

माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 68वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

एस.एल.बी.सी. की बैठक में मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा एवं विभागीय अधिकारीगण तथा सभागार में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, बैंकों के पदाधिकारीण एवं अन्य।

दिनांक 19 जून 2019 को श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमीटी बिहार की 68वीं समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल शामिल हुए एवं बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लेने के चलते हो रही कठिनाइयों एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिहार के उद्योगों के 50 करोड़ रूपये से अधिक के लेन-देन वाले खातों को कोलकाता, दिल्ली एवं मुम्बई ट्रांसफर किये जाने का गंभीर मामला उठाया और कहा कि इससे 50 करोड़ से अधिक के उद्योगों का निवेश प्रभावित होगा और बिहार के औद्योगिकीकरण पर कुठाराघात होगा।

माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा उठाये गये मामले को सही ठहराया एवं उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इस मामले को रखने का आश्वासन भी दिया।

एस.एल.बी.सी. की बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (प्रथम पंक्ति में बाँयें से प्रथम) एवं अन्य।

वार्षिक विवरणी (GSTR-9) दाखिल करने संबंधित जानकारी देने हेतु चैम्बर में Help Desk स्थापित

सहायता केन्द्र में विवरणी दाखिल करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करते व्यवसायीगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध पर चैम्बर प्रांगण में व्यवसायियों को वार्षिक विवरणी (GSTR-9) दाखिल करने के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करने हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा दिनांक 18 जून से 22 जून 2019 तक पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 5:00 बजे तक (Help Desk) स्थापित किया गया। इस हेल्प डेस्क में काफी सदस्यों ने वार्षिक विवरणी (GSTR-9) दाखिल करने हेतु जानकारी प्राप्त की।

इंडिया इन्टरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में आयकर विभाग द्वारा स्थापित टैक्स पेयर्स लाउन्ज के उद्‌घाटन में चैम्बर अध्यक्ष शामिल

इंडिया इन्टरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में टैक्स पेयर्स लाउंज का मुआयना करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, प्रधान आयकर महानिदेशक श्री के. सी. घुमरिया, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा एवं अन्य।

पटना के ज्ञान भवन में दिनांक 27 जून, 2019 को आयोजित इंडिया इन्टरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में आयकर विभाग द्वारा स्थापित "टैक्स पेयर्स लाउन्ज" का उद्‌घाटन के अवसर पर लाउन्ज का मुआयना करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, प्रधान आयकर महानिदेशक श्री के. सी. घुमरिया एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा।

बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से भेंटवार्ता करता बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल।

प्रतिनिधिमंडल को चैम्बर का कॉफी टेबुल भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 27 जून, 2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिलकर आगामी मेगा ट्रेड फेयर जो गाँधी मैदान, पटना में प्रस्तावित है, उस पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल में श्री उत्पल राय, श्रीमती सुपर्णा डी. गुप्ता एवं श्री चिदरूप शाह थे।

उक्त अवसर पर प्रतिनिधिमंडल को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने प्रदान किया।

साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी उपस्थित थे।

जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार

इस वर्ष लगातार तीसरे महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष मई में जीएसटी संग्रह 1, 00,289 करोड़ रुपये रहा। हालांकि यह आंकड़ा ठीक पिछले महीने यानी अप्रैल से कम, लेकिन पिछले वर्ष इसी महीन में हासिल 94,016 करोड़ रुपये के मुकाबले 6.67 फीसद ज्यदा है। वहीं, पिछले वित्त वर्ष के दौरान हासिल औसत मासिक जीएसटी के मुकाबले मई का संग्रह 2.21 फीसद ज्यादा रहा है। इससे पहले इस वर्ष अप्रैल और मार्च में भी जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहा था। जीएसटी संग्रह के मामले में अब तक का रिकॉर्ड चालू वित्त वर्ष के अप्रैल का (1,13,865 करोड़ रुपये) रहा है। (साभार : दैनिक जागरण, 2.6.2019)

चैम्बर अध्यक्ष ने राधा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री बालाजी नेत्राालय, पटना में काला मोतियाबिन्द (ग्लूकोमा) जाँच की अत्याधुनिक मशीन का किया उद्घाटन

श्री बालाजी नेत्रालय में काला मोतिया बिन्द (ग्लूकोमा) जाँच की मशीन का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका, श्री अमर अग्रवाल, श्री राधेश्याम बंसल एवं अन्य।

दिनांक 28 जून 2019 को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने राधा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री बालाजी नेत्रालय, पटना में काला मोतियाबिन्द (ग्लूकोमा) जाँच की अत्याधुनिक मशीन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर श्री बालाजी नेत्रालय के नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका, श्री अगर अग्रवाल, श्री राधेश्याम बंसल एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित थे।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले : पी. के. अग्रवाल

जनसंख्या के मामले में बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कई मोर्चों पर यह पश्चिमी और उत्तरी राज्यों से बहुत पीछे है। यह वर्ष बिहार के लिए एक सपना वर्ष है। क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा अवधि के बाद, इसने राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों को देखा है जो राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार को आगामी बजट में उम्मीदें हैं। ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कहीं। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय बजट 2019-20 के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री से कई मुद्दों पर सुझाव और मांगें रखी गयी हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री चैम्बर के सुझाव और मांग पर विशेष ख्याल रखेंगी। राज्य को हमेशा बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इससे भी राज्य को काफी नुकसान होता है। अत: बिहार के उत्थान के लिए एक ही विकल्प बचता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये।

गैस पाइप लाइन से जोड़ने की जरूरत : उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार में तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए गैस पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है। अभी सूबे में गैस पाइप लाइन का काम केवल दक्षिण और पूर्व बिहार में मुख्य रूप से हो रहा है। अग्रवाल ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास के बावजूद बिहार में निवेश के लिए राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निवेश के लिए आगे नहीं आयी है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिक-से-अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पाँच सालों के लिए सब्सिडी दी जाये। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश में रियायत की जो दर है, वह आकर्षक बनायी जाये जिससे ग्रामीण युवाओं का बड़े शहरों में पलायन रुक सके। अत: बजट में विशेष प्रोत्साहन अनुदान देने का अनुरोध किया है।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों की घोर कमी : उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने के बावजूद यहाँ उच्च शैक्षणिक संस्थानों की घोर कमी है। इसके कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाये। **(साभार : प्रभात खबर, 19.6.2019)**

बैंकों के सिक्के नहीं लेने पर हस्तक्षेप करने की मांग

चैम्बर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं रिजर्व बैंक से किया अनुरोध

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य के विभिन्न भागों में स्थित बैंकों द्वारा व्यवसायियों के पास बड़ी संख्या में जमा सिक्का नहीं लिए जाने से व्यवसायियों को हो रही असुविधा पर चिन्ता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बराबर राज्य के विभिन्न भागों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि व्यवसायियों के पास बड़ी संख्या में जमा सिक्के को बैंकों द्वारा नहीं लिया जा रहा है या सिक्का लिया भी जा रहा है तो बहुत ही कम संख्या में, केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को चैम्बर की ओर से 21 जून को संपन्न राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के समक्ष उठाया गया था जिस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आयोजित प्री बजट बैठक में इस मुद्दे को रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों द्वारा यह भी कहा जाता है कि एक दिन में केवल 1000 रुपया का ही सिक्का लेंगे। इसका अर्थ है कि व्यवसायी प्रतिदिन अपनी दुकान को बंद करके, बैंक में आकर प्रतिदिन लाइन लगाये जो कि अव्यवहारिक है। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, पटना ने भी अपने पत्र

के माध्यम से सूचित किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक पटना कार्यालय में जन साधारण के लिए सिक्कों के लेन-देन के लिए एक काउंटर खोला गया है, लेकिन इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 23.6.2019)**

दो लाख छोटे कारोबारियों को फायदा

केन्द्र सरकार की नयी स्कीम के तहत मिलेगी पेंशन : केन्द्र सरकार की नयी स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों को कम-से-कम तीन हजार रुपये हर माह पेंशन मिलेगी। इस स्कीम का फायदा उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं और जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है। लेकिन, यह स्कीम फ्री नहीं है। इस स्कीम में कारोबारियों को भी अपना हिस्सा जमा करना होगा। केन्द्र सरकार इस स्कीम के सदस्य के खाते में समान योगदान देगी। अगर कोई कारोबारी हर माह 500 रुपये का योगदान करता है, तो केन्द्र सरकार भी हर माह संबंधित सदस्य के खाते में सब्सिडी के रूप में उतनी ही राशि का योगदान करेगी।

40 की उम्र तक हो सकेंगे शामिल : इस स्कीम में शामिल होने के लिए उम्र की सीमा 18 से 40 साल तक रखी गयी है। इस उम्र के कारोबारियो को इस पेंशन स्कीम के तहत स्वयं ही रजिस्टर करना होगा। यह स्कीम स्व घोषणा पर आधारित है, क्योंकि आधार और बैंक अकाउट को छोड़कर किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इच्छुक कारोबारी या दुकानदार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये स्वयं का निबंधन करा सकते है। छोटे कारोबारी और दुकानदारों को 60 वर्ष की उम्र से पेंशन मिलनी शुरू होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 19.6.2019)**

वित्तीय प्रबंधन में बिहार देश में रहा अव्वल : मोदी

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश के प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय प्रबंधन की कुशलता के कारण राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक के मामले में राज्य प्रथम स्थान पर है। यानी कुशल वित्तीय प्रबंधन के मामले में बिहार ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

बताया कि रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन के पैमाने पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 2004-05 से लेकर 2016-2017 की अवधि में नॉन स्पेशल कैटेगरी में शामिल 18 राज्यों का राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक तैयार किया गया है। यह सूचकांक राजस्व पूंजी व्यय सूचकांक, टैक्स प्राप्तियों का सूचकांक, राजकोषीय व राजस्व घाटे की दर्शाने वाले डेफिसिट प्रूडेंस इंडेक्स व कर्ज सूचकांक पर तैयार किया गया है।

गुजरात, हरियाणा को भी पीछे छोड़ा : सौ अंकों वाले राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में बिहार का स्कोर सर्वाधिक 66.5 है, जबकि पश्चिम बंगाल का सबसे कम 23.3 है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में बिहार ने गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे खराब प्रदर्शन बंगाल, पंजाब और केरल का है। व्यय की गुणवत्ता के मामले में आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कम आय वाले राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने व्यय में गुणवत्ता बरतते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.6.2019)**

टैक्स घटने पर दाम नहीं घटाए तो 10% जुर्माना, मल्टीप्लेक्स में अब ई-टिकट

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जीएसटी काउंसिल की पहली और अब तक की 35वीं बैठक हुई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंज्यूमर और कारोबारियों से जुड़े पाँच प्रमुख फैसले किए गए। सबसे अहम फैसला जीएसटी घटने के बावजूद दाम नहीं घटाने वाले दुकानदारों और कंपनियों पर 10% जुर्माना लगाने का हुआ है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स में फिल्म के लिए अब अनिवार्य तौर पर ई-टिकट जारी करने होंगे। ई-टिकट का मतलब ऑनलाइन टिकट नहीं है। यह कारोबारियों के लिए जारी ई-इन्वॉइस सिस्टम की तरह है, जिसके जरिए सरकार मल्टीप्लेक्स में बिके टिकटों का हिसाब रख सकेगी। राजस्व सचिव ए. बी. पांडेय ने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। जीएसटी एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल भी दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सालाना रिटर्न भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई है। नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जनवरी 2020 से लागू होगा।

पीयूष गोयल
PIYUSH GOYAL

सत्यमेव जयते

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री;
भारत सरकार
MINISTER OF
RAILWAYS AND COMMERCE & INDUSTRY;
GOVERNMENT OF INDIA

D.O. No. T C&IM 2019

1 4 JUN 2019

प्रिय श्री अग्रवाल जी,

आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रगतिशील, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में, देश ने सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, और बड़े पैमाने पर बुनियादी विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा पूरी की है। इस विकास यात्रा में बिना किसी भेदभाव के 130 करोड़ भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण संभव हुआ है। जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से विश्वास जताया है और देश की सेवा के लिए एक और बड़ा जनादेश दिया है।

हम 2022 तक एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जब हम भारत की आज़ादी के 75 साल मनाएंगे: एक ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ होगा, जहां हर किसी के घर में शौचालय, पानी और बिजली होगी; जहां किसानों की आय दोगुनी होगी; युवाओं और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे; एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।

मैं भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके निरंतर समर्थन और भागीदारी की आशा करता हूं।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

पीयूष गोयल

पीयूष गोयल

श्री पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
खेम चन्द चौधरी मार्ग, पटना-800 001

Ministry of Commerce & Industry : Udyog Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110011
Tel. No. : +91 11 23062223, 23061492, 23061008, Fax : +91 11 23062947, E-mail : cimoffice@nic.in

---

ई-टिकट के जरिए टैक्स चोरी रोकना चाहती है सरकार

1. ई-टिकट के जरिए मल्टीप्लेक्स में बिके टिकट का हिसाब रखा जाएगा
2. जीएसटी घटने के बाद दाम नहीं घटते, इसलिए जुर्माने का फैसला
3. इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स, 8 लाख की कार 50 हजार सस्ती
4. दो माह तक रिटर्न नहीं भरा तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा
5. राज्य और क्षेत्र आधारित एपीलेट ट्रिब्यूनल बनेंगे

(साभार : दैनिक भास्कर, 22.6.2019)

जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म जनवरी से लागू होगा

जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म जनवरी 2020 से लागू होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। फॉर्म प्रायोगिक तौर पर अक्टूबर में जारी होगा, लेकिन जनवरी से प्रभावी होगी।

सूत्रों ने बताया कि नए रिटर्न के मुख्यत: तीन भाग हैं जिसमें फॉर्म जीएसटी

आरईटी-1 मुख्य रिटर्न है और फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 और फॉर्म एएनएक्स- 2 एनेक्सर है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जुलाई से करदाताओं को ऑफलाइन परीक्षण के आधार पर फॉर्म जीएसटी एएनएक्स- 1 का उपयोग करते हुए रसीद अपलोड करना होगा। परीक्षण कार्यक्रम के तहत करदाता फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2 का उपयोग कर खरीद रसीद को देख सकेंगे व डाउनलोड कर सकेंगे। खरीद से जुड़ी रसीदों को पोर्टल पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.6.2019)

एसएलबीसी की बैठक में मोदी ने बैंकों को दिया 90% लक्ष्य पाने का निर्देश

1,09,582 करोड़ रुपए के बैंकों ने बांटे कर्ज : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2007-08 में जहाँ मात्र 10,762 करोड़ रुपए ऋण बांटे गए थे, वहीं 2018-19 में 10 गुना ज्यादा यानी 1,09,582 करोड़ का कर्ज बैंकों ने दिया है। यह तय लक्ष्य 1,30,000 करोड़ का 84.29 फीसदी है। पिछले 10 वर्षों में साख-जमा अनुपात में भी 10% की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ की वार्षिक साख योजना तय की गई है। उन्होंने इसका 90 फीसदी से अधिक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश बैंकों को दिया। मोदी 68वीं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बैंकों को किसानों को अधिकाधिक केसीसी देने, केसीसी सहित सभी प्रकार के ऋण के लिए आवेदन व स्वीकृति की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने, बैंकिंग सुविधा से वंचित 160 ग्रामीण केन्द्रों पर आगामी तीन महीने के अंदर बैंक आउटलेट खोलने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या बढ़ाने, साइबर फ्रॉड की रोकथाम का कारगर उपाय करने आदि निर्देश दिए। कहा-वार्षिक साख योजना में राज्य के 29 बैंकों की उपलब्धि औसत राज्य साख योजना से कम है, जिसमें 12 बैंकों की उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में 50 फीसदी से भी कम है। इसमें मुख्य रूप से साउथ इंडियन और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की उपलब्धि शून्य है। वहीं कॉरपोरेशन बैंक 10%, कर्नाटक बैंक 16, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 25, देना बैंक 35, आंध्रा बैंक 37, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 40, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 43, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45, सिंडिकेट बैंक 47 और कोटक महिंद्रा बैंक 48% लक्ष्य हासिल किया है।

सिक्का नहीं लेना बड़ी समस्या, 21 को केन्द्रीय वित्त मंत्री के सामने इस मसले को उठाएंगे : उपमुख्यमंत्री ने बैंकों द्वारा सिक्का नहीं लिए जाने पर चिंता जताई। कहा-यह बड़ा मुद्दा है। बैंकों के इस रवैए से आम लोगों के साथ कारोबारी भी परेशान हैं। कारोबारियों के पास बोरे में सिक्के जमा हो गए हैं। इस तरह से उनका वर्किंग कैपिटल डंप हो रहा है। इसका समाधान बैंकों को खोजना होगा। मोदी ने कहा कि 21 जून को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आयोजित प्री-बजट मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे।

बैठक में सिक्के के मामले को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पी. के. अग्रवाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में सिक्का जमा होने से कारोबारियों के सामने वर्किंग कैपिटल की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। संचालन राजीव कुमार दास ने किया। इस मौके पर मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, श्रवण कुमार, श्याम रजक, सुरेश शर्मा, राणा रणधीर, प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, चैतन्य प्रसाद, दीपचंद गोयल, राहुल सिंह, डॉ. एन. विजयलक्ष्मी व अमिताभ लाल आदि थे।

वार्षिक साख योजना

वर्ष	लक्ष्य करोड़	प्राप्ति करोड़	फीसदी	वर्ष	लक्ष्य करोड़	प्राप्ति करोड़	फीसदी
2010-11	37000	25551	69.06	2015-16	84000	80084	95.934
2011-12	43200	32415	75.04	2016-17	100000	87909	87.91
2012-13	51400	44520	86.66	2017-18	110000	99934	90.95
2013-14	62000	57007	91.95	2018-19	130000	109582	84.29
2014-15	74000	68796	92.97	2019-20	145000		

(साभार : दैनिक भास्कर, 30.06.2019)

सिर्फ जुर्माना देकर नहीं बच पाएंगे कर चोरी करने वाले

केन्द्र सरकार ने काला धन रखने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। कर चोरी कर काला धन जमा करने वाले अब महज जुर्माना देकर नहीं बच पाएंगे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 17.6.2019 से लागू हो जाएँगे।

इसके तहत कर चोरी के मामले में अदालत से बाहर कोई समझौता नहीं होगा। कर चोरी पर पूरा मुकदमा चलेगा और तय सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। दिशनिर्देशों के अनुसार, काले धन और बेनामी कानून के तहत ज्यादातर अपराध सामान्यतया नॉन कंपाउडेबल होंगे, यानी सिर्फ जुर्माना देकर कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक, कोई भी संस्था या व्यक्ति कर चोरी के मामले में सिर्फ टैक्स की मांग, जुर्माना और ब्याज का भुगतान कर मामले का समाधान नहीं कर पाएगी। जो भी मामला कर चोरी के तहत आएगा, उसे नए निर्णय के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाएगा। सीबीडीटी ने 13 तरह के मामलों की सूची भी जारी की है, जो कंपाउंडेड (कोर्ट के बाहर हल हो सकने वाले) श्रेणी में नहीं होंगे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को यह संशोधित गाइडलाइन संबंधित एजेंसियों के पास पहुँचाने को कहा है और उसी के अनुसार मामलों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिन मामलों में आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त या अन्य एजेंसियाँ भी जाँच कर रही हैं, उन्हें भी कोर्ट के बाहर खत्म नहीं किया जा सकता।

जानबूझकर कर चोरी पर जेल जाना होगा : श्रेणी बी के तहत जानबूझकर कर चोरी करने के प्रयास के केस, खातों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को पेश न करने का केस और जाँच-पड़ताल के दौरान गलत बयान दर्ज कराने के मामले आएंगे। जानबूझकर कर न देने, संपति छिपाने या कर बचाने के लिए उसे किसी और नाम करने या छापेमारी के दौरान दस्तावेजों या सबूतों को छिपाने के मामले कोर्ट के बाहर नहीं सुलझाए जा सकेंगे। कोर्ट में इन मामलों पर मुकदमा चलेगी और सजा होगी। अघोषित या बेनामी संपत्ति से जुड़े काले धन के मामलों में भी कोर्ट के बाहर समझौते का विकल्प नहीं होगा।

छोटे-मोटे मामलों में ही नरमी संभव : अपराध की श्रेणी ए के तहत स्त्रोत पर कर न चुकाने या कम कटौती के मामले और धारा 115-0 के तहत कम चुकाए गए कर से जुड़े मामले आएँगे। पहली श्रेणी के तहत आने वाले अपराधों का विकल्प खुला रखा गया है। यानी उनका कोर्ट के बाहर समझौता करने की मंजूरी दी जी सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में किसी को तीन बार दोषी पाया जाता है तो बचाव का मौका नहीं मिलेगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 17.6.2019)

एनपीए पर नया सर्कुलर जारी, 30 दिन में करनी होगी डिफाल्ट की पहचान

रिजर्व बैंक ने कंपनियों के फंसे कर्ज (एनपीए) के समाधान के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि एनपीए के समाधान के नए नियम सभी पुराने नियमों की जगह लेंगे। नए सर्कुलर के मुताबिक अब बैंकों को 30 दिन के भीतर कर्ज की अदायगी में चूक (डिफॉल्ट) के मामलों की पहचान करनी होगी। इससे पहले रिजर्व बैंक के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर में कर्ज के भुगतान में एक दिन की चूक होने पर उसे फंसा कर्ज (एनपीए) घोषित करने का प्रावधान था।

सुप्रीम कोर्ट इस साल 2 अप्रैल को 12 फरवरी 2018 के इस सर्कुलर को खारिज कर चुका है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने प्रावधानों में कुछ ढील देते हुए यह नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक रेजोल्यूशन प्लान के लिए अब कुल लोन की 75% वैल्यू वाले कर्जदाताओं की मंजूरी जरूरी होगी। पिछले 12 फरवरी वाले सर्कुलर के मुताबिक सभी कर्जदाताओं की मंजूरी लेनी होती थी। समीक्षा अवधि से 180 दिन में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं होता है तो आरबीआई बैंकों से 20% अतिरिक्त प्रोविजनिंग के लिए कहेगा।

कर्ज फंसने की आहट पर बैंकों को सीआरआईएलसी को सूचना

देनी होगी : आरबीआई ने सर्कुलर में कहा है कि बैंकों को कर्ज के फंसने की तत्काल सूचना सीआरआईएलसी (सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिटस) को देनी चाहिए, जिसमें किसी खाते को स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करने जैसी जानकारी भी शामिल है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.6.2019)

ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर में अब नहीं लगेगा कोई शुल्क

रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन को मजबूत बनाने के इरादे से आरटीजीएस और एनइएफटी के जरिये धन अंतरण (फंड ट्रांसफर) के लिए बैंकों पर लगने वाले शुल्क समाप्त करने की घोषणा कर दी और बैंकों को इसका लाभ ग्राहकों को देने को कहा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर अपने बयान में आरबीआइ ने कहा कि आरटीजीएस और एनइएफटी प्रणाली से लेन-देन पर न्यूनतम शुल्क लगाता है। बैंक भी इसके बदले शुल्क लगाते हैं। अब डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और एनइएफटी प्रणालियों के जरिये होने वाले लेन-देन पर शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंकों को भी इसका लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा। इस बारे में एक सप्ताह के भीतर दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। अभी ज्यादातर बैंक आरटीजीएस और एनइएफटी पर चार्ज वसूलते हैं। ग्राहकों के खाते से अतिरिक्त राशि कटती है।

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया कदम

क्या है आरटीजीएस और एनइएफटी : आरटीजीएस और एनइएफटी, दोनों डिजिटल फंड ट्रांसफर सिस्टम है। दो लाख रुपये से अधिक की राशि तत्काल दूसरे के खाते में भेजने के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है, जबकि एनइएफटी के तहत कोई न्यूनतम राशि नहीं तय नहीं है।

एसबीआइ में लगता है पाँच से 50 रुपये तक चार्ज : भारतीय स्टेट बैंक एनइएफटी के जरिये धन अंतरण के लिए ग्राहक से 1.0 रुपये से लेकर 5 रुपये तक का शुल्क लेता है। वहीं आरटीजीएस के मामले में यह शुल्क 5 रुपये से 50 रुपये के बीच है। इन सभी शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी भी अतिरिक्त देय है। अन्य सरकारी और निजी बैंक भी इसी तरह का चार्ज लेते हैं।

एटीएम से लेन-देन हो सकता है फ्री : आरबीआइ ने एटीएम के उपयोग पर लगाये गये शुल्क की समीक्षा को लेकर समिति गठित करने का निर्णय किया। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एटीएम शुल्क में बदलाव की मांग निरंतर की जा रही है। इसके लिए भारतीय बैंक संघ के सीइओ की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर सिफारिशें देगी। (साभार : प्रभात खबर, 7.6.2019)

राहत का फायदा ग्राहकों को कम बैंकों को ज्यादा

भारतीय रिजर्व बैंक जब भी रेपो रेट में कटौती करता है तो ग्राहकों को उम्मीद रहती है कि इसका फायदा उन्हें भी मिलेगा, कर्ज की किस्त कुछ हल्की होगी। हालांकि हकीकत इससे परे है। रेपो रेट में कटौती का फायदा ग्राहकों को या तो मामूली मिलता है, या नहीं मिलता है।

ताजा आंकड़ों पर गौर करें या फिर पुराने आंकड़ों को देखें, वास्तविकता यही है कि रेपो रेट में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं मिलता है। छह जून 2019 को भारतीय बैंक ने मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट में 0.25 फीसद की कटौती कर बैंकों को राहत दिया। बैंक अब आरबीआइ से शॉर्ट टर्म लोन 5.75 फीसद पर ले सकेंगे। हालांकि इस कटौती के बाद अभी तक बैंकों की ओर से इस राहत को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए कदम नहीं बढ़े है।

"रेपो रेट में कमी का अगर पूरा लाभ ग्राहकों को दे दिया जाए तो फिर जमाकर्ताओं के लिए भी दर में कमी करनी होगी। इससे नेट इंट्रेस्ट मार्जिन को मेंटेन करना मुश्किल होगा क्योंकि ऋण दर और जमा दर का अंतर ही बैंकों का लाभ होता है।" – डॉ. कुमार अरविन्द्र, वरीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन

(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 12.6.2019)

35th GST Council Meeting, New Delhi

21st June 2019

PRESS RELEASE

(Issues other than Rate and Law changes)

The 35th GST Council Meeting was the first meeting of the Council after the swearing in of the new Government. The meeting took place in a cordial and professional manner.

2. At the start of the meeting, the Council passed a resolution acknowledging the stellar role played by Shri Arun Jaitely, the former Chairperson of GST Council and expressed its gratitude and appreciation for the exemplary contribution made by him in making the GST Council a shining example of co-operative federalism that it has become today. The Council also thanked the outgoing Members and welcomed the new Members of the Council. It also expressed its deepest condolences at the untimely demise of Shri Prakash Pant, the former Finance Minister of Uttarakhand.

3. Altogether, 12 Agenda items were discussed during the Council meeting. Some of these items were of regular nature like confirmation of the Minutes of the 34th GST Council Meeting, deemed ratification by the Council of notifications, circulars and orders issued by the Central Government between 12th March, 2019 and 11th June, 2019, taking note of the decisions of GST Implementation Committee, etc.

4. The Council took a decision regarding location of the State and the Area Benches tor the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) for various States and Union Territories with legislature. It has been decided to have a common State Bench for the States of Sikkim, Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh.

5. The tenure of National Anti-Profiteering Authority has been extended by 2 years.

6. The Council also decided to introduce electronic invoicing system in a phase-wise manner for B2B transactions. E-invoicing is a rapidly expanding technology which would help taxpayers in backward integration and automation of tax relevant processes. It would also help tax authorities in combating the menace of tax evasion. The Phase 1 is proposed to be voluntary and it shall be rolled out from Jan 2020

PRESS RELEASE

21st June, 2019

(Rate related changes)

In the meeting held today, that is 21st June, 2019, the Council has recommended following GST rate related changes on supply of goods and services.

1. Electric Vehicles

On issues relating to GST concessions on electric vehicle, charger and hiring of electric vehicle, the Council recommended that the issue be examined in detail by the Fitment Committee and brought before the Council in the next meeting.

2. Solar Power Generating Systems and Wind Turbines

In terms of order of the Hon'ble High Court of Delhi, GST Council directed that the issue related to valuation of goods and services in a solar power generating system and wind turbine be placed before next Fitment Committee. The recommendations of the Fitment Committee would be placed before the next GST Council meeting.

3. Lottery

(i) Group of Ministers (GoM) on Lottery submitted report to the Council. After deliberations on the various issues on rate of lottery, the Council recommended that certain issues relating to taxation (rates and destination principle) would require legal opinion of Learned Attorney General.

PRESS RELEASE

21st June, 2019

(Law and Procedure related changes)

The GST Council, in its 35th meeting held today at New Delhi recommended the following:

1. In order to give ample opportunity to taxpayers as well as the system to adapt, the new return system to be introduced in a phased manner, as described below:

    i. Between July, 2019 to September, 2019, the new return system (FORM GST ANX-I& FORM GST ANX-2 only) to be

available for trial for taxpayers. Taxpayers to continue to file FORM GSTR-1 &FORM GSTR-3B as at present;

ii. From October, 2019 onwards, FORM GST ANX-1 to be made compulsory. Large taxpayers (having aggregate turnover of more than Rs. 5 crores in previous year) to file FORM GST ANX-1 on monthly basis whereas small taxpayers to file first FORM GST ANX-1 for the quarter October, 2019 to December, 2019 in January, 2020;

iii. For October and November, 2019, large taxpayers to continue to file FORM GSTR-3B on monthly basis and will file first FORM GST RET-01 for December, 2019 in January, 2020. It may be noted that invoices etc. can be uploaded in FORM GST ANX-1 on a continuous basis both by large and small taxpayers from October, 2019 onwards. FORM GST ANX-2 may be viewed simultaneously during this period but no action shall be allowed on such FORM GST ANX-2;

iv. From October, 2019, small taxpayers to stop filing FORM GSTR-3B and to start filing FORM GST PMT-08. They will file their first FORM GST- RET-01 for the quarter October, 2019 to December, 2019 in January, 2020;

v. From January, 2020 onwards, FORM GSTR-3B to be completely phased out

2. On account of difficulties being laced by taxpayers in furnishing the annual returns in FORM GSTR-9, FORM GSTR-9A and reconciliation statement in FORM GSTR-9C, the due date for furnishing these returns/reconciliation statements to be extended till 31.08.2019

3. To provide sufficient time to the trade and industry to furnish the declaration in FORM GST ITC-04, relating to job work, the due date for furnishing the said form for the period July, 2017 to June, 2019 to be extended till 31.08.2019

4. Certain amendments to be carried out in the GST laws to implement the decisions of the GST Council taken in earlier meetings.

5. Rule 138E of the CGST rules, pertaining to blocking of e-way bills on non-filing of returns for two consecutive tax periods, to be brought into effect from 21.08.2019, instead of the earlier notified date of 21.06.2019

6. Last date for filing of intimation, in FORM GST CMP-02, for availing the option of payment of tax under notification No. 2/2019-Central Tax (Rate) dated 07.03.2019, to be extended from 30.04.2019 to 31.07.2019

*(**Note** : The recommendations of the GST Council have been presented in this release in simple language for information of all stakeholders. The same would be given effect through relevant Circulars/Notifications which alone shall have the force of law.)*

नए औद्योगिक पार्क बनाएगा बिहार

• गया के डोभी में स्थित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा होगा • रोहतास के डेहरी में मझोली व छोटी आकार की कंपनियों को जमीन दी जाएगी

आम चुनाव के बाद बिहार सरकार ने नए औद्योगिक पार्क के निर्माण के काम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तरह राज्य सरकार गया और रोहतास में दो नए औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। ये दोनों औद्योगिक प्रक्षेत्र रेल और सड़क मार्ग के साथ-साथ गैस पाइपलाइन से भी जुड़ेंगे।

उद्योग विभाग ने बीते वर्ष गया और रोहतास में नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने का फैसला लिया था। गया के डोभी में स्थित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा होगा। उद्योग विभाग से इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। इस 2,500 एकड़ के औद्योगिक पार्क में अलग-अलग प्रकार के उद्योग लगेंगे। साथ ही, इससे इलाके के लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना रेल के मामले में अमृतसर-कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर और सड़क के मामले में ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़ेगी। भूमि अधिग्रहण में करीब 800 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है, जबकि विकास का खर्च केन्द्र सरकार उठाएगी। इसका विकास एक कंपनी करेगी, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार की आधी-आधी हिस्सेदारी होगी।

दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने रोहतास के डेहरी में भी एक औद्योगिक केन्द्र बनाने का फैसला लिया है। इनमें मझोली और छोटी आकार की कंपनियों को जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक यहाँ ऑटो, कपड़ा और कल-पुर्जा बनाने वाली कंपनियों को जमीन दी जाएगी। सरकार को इन दोनों औद्योगिक पार्कों से बड़ी संख्या में निवेशकों को लुभाने की उम्मीद है।

उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ से निर्माता देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद भेज सकते हैं। उन्होंने कहा, 'अमृतसर-हावड़ा फ्रेट कॉरिडोर भी यहीं से होकर गुजरेगा। वहीं ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ से औद्योगिक ईकाइयाँ पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ पूर्व-मध्य और मध्य भारत के बाजार की जरूरतों को भी पूरा कर सकती हैं।'

(साभार : बिजनेस-स्टैंडर्ड, 15.6.2019)

उपहार की जानकारी छिपाई तो 200% तक जुर्माना

हम दोस्त-रिश्तेदार को अक्सर शादी, सालगिरह और जन्मदिन के मौकों पर उपहार देते हैं। छोटे अवसर पर हम नकदी और बड़े अवसरों पर जमीन, घर, सोने-चांदी के गहने आदि उपहार के तौर पर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दोस्त-रिश्तेदार से मिले सभी उपहार कर मुक्त नहीं होते हैं। अगर आपको करीबी रिश्तेदार के अलावा किसी गैर-रिश्तेदार या दोस्त से उपहार मिला है तो वह कर योग्य हो सकता है। ऐसे में अगर आप मिले उपहार की जानकारी आयकर विभाग से छुपाते हैं तो आपको 200 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने भारतीय उपहार कर अधिनियम को 1998 में समाप्त करने के बाद 2004 में फिर से वित्त विधेयक लाकर उपहार पर टैक्स लगाया है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ) को दोस्त या गैर-रिश्तेदार से एक वित्त वर्ष में 50 हजार रुपये से अधिक की रकम या संपत्ति उपहार में मिलती है तो उसे पूरी रकम पर कर चुकाना होगा। उपहार पर टैक्स कैसे लगता है और किन मामलों में मिलती है छूट की विस्तृत जानकारी हेतु देखें।

(हिन्दुस्तान, 23.6.2019)

बिना गारंटी मिलेगा 50 लाख तक का ऋण

अगले पाँच साल में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर पाँच लाख करोड़ डॉलर करने के लिए सरकार विकास दर को उठाने के लिए सुधार जारी रखेगी। साथ ही कारोबार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को बिना गारंटी 50 लाख रुपये तक का ऋण भी मुहैया करायेगी। वहीं कारोबार की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर नियम सरल बनाये जाएंगे। जल्द ही सरकार एक नई औद्योगिक नीति भी लाएगी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जून 2019 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महंगाई दर कम है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है और 'मेक इन इंडिया' का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 2022 में देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा उस समय भारत विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होगा और पाँच लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के निकट होगा। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाएगी।

भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से हो रहे काम का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत जीडीपी के आकार की दृष्टि से दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए सुधार की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक भारत पाँच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराने की योजना शुरू करेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 21.6.2019)

हैदराबाद के पास बने साइबराबाद की तर्ज पर बिहटा बनेगा आईटी हब, पटना से एलिवेटेड सड़क से जुड़ेगा

बिहटा को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना मास्टर प्लान 2031 के तहत पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में प्रस्तावित पाँच सेटेलाइट टाउनशिप में से बिहटा का विकास साइबर सिटी के रूप में किया जाएगा। इसे हैदराबाद के पास बनाए गए साइबराबाद की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। हाल के वर्षों में बिहटा का तेजी से विकास हुआ है। पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहटा के चयन का आधार बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा आईआईटी, एनआईटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (नाइलेट) जैसे उच्च तकनीकी के शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्रस्तावित एयरपोर्ट के कारण विकास विभाग बिहटा को साइबर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ ही सरकार बिहटा को पटना से जोड़ने के लिए एलिवेटेड सड़क की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 24.6.2019)**

बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में 2800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

बिहार में निवेश करने वालों को फूड प्रासेसिंग इंडस्ट्रीज में बड़ा भविष्य दिख रहा है। एनर्जी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट बनकर उभरा है। 2018-19 में निवेश के सबसे अधिक प्रस्ताव आए हैं। 486 निवेश प्रस्तावों में 2805.40 करोड़ का निवेश हो सकता है, जो एक रिकॉर्ड है। इन सभी प्रस्तावों का स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुका है। अगर आधे प्रस्ताव भी जमीन पर उतरे तो सुदूर जिलों में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में ही खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता में रखा था। कृषि रोडमैप के तहत फल और सब्जी की बर्बादी 30-40% कम करने का लक्ष्य है। सरकार के इस बड़े प्रोजेक्ट के चलते जल्द खराब होने वाले फलों की लाइफ बढ़ाने में मदद की जाएगी। इसके तहत रेडियोएक्टिव तकनीक की मदद से फल और सब्जियों जैसी जल्द खराब होने वाली चीजों का न केवल जीवनकाल बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इससे उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। इसी संदर्भ में कृषि उत्पादों के संरक्षण और भंडारण के लिए बिहार में पहली बार ई-रेडिएशन प्रोसेसिंग यूनिट और पैक हाउस का निर्माण को लेकर राज्य सरकार गंभीर दिखी है।

प्रस्तावित और वास्तविक निवेश में गैप : हालांकि राज्य में प्रस्तावित निवेश और वास्तविक निवेश में गैप हमेशा से रहा है। वर्ष 2008 में फूड प्रोसेसिंग में पहली बार संगठित तौर पर प्रस्ताव मांगे गए थे। विभाग के अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 से 2016 तक के आठ लंबे वर्षों में वास्तविक तौर पर करीब 4000 करोड़ के निवेश ही जमीन पर उतर पाया। जबकि इन वर्षों में प्रस्तावित निवेश 20 हजार करोड़ से अधिक रहा।

बिहार में उद्यमिता के लिए उपलब्ध नहीं है जमीन : जी. पी. सिंह बताते हैं कि बिहार में निवेश का जो भी आकार प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित होता है उसमें करीब 40 प्रतिशत कॉस्ट लैंड के लिए ही समाहित होता है। बिहार में उद्यमिता के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है और बमुश्किल अगर मिल भी जाए तो कॉस्ट बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि वास्तविक निवेश करने के पहले ही प्रस्तावित निवेशक पीछे हट जाते हैं।

हालांकि बिहार में बिजली की उपलब्धता में जिस तरह से सुधार हुआ है उससे सुदूर जिलों में भी प्लांट लगाने को उद्यमी तैयार हैं। इन सबके बावजूद बिहार में हाजीपुर, वैशाली, भागलपुर जैसे क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। शहद उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा क्षेत्रों में छोटी-छोटी यूनिट ने अच्छा उत्पादन किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर शहद की जाँच के लिए लैब नहीं है जिस कारण उसकी गुणवत्ता प्रमाणित नहीं हो पा रही है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 24.6.2019)**

राज्य सरकार ने रोड मेंटेनेंस पालिसी में किया बदलाव, गड़बड़ी हुई तो नपेंगी एजेंसियाँ

अब निर्माण एजेंसियों को सड़कों की देखरेख सात वर्षों के लिए करनी होगी और सड़क की गुणवत्ता विश्वस्तरीय होगी। राज्य सरकार ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत पाँच वर्षों की अवधि को सात वर्षों के लिए तय कर दी है। पहले संबंधित सड़कों की देखभाल निर्माण एजेंसियों को सिर्फ पाँच वर्षों के लिए ही करनी होती थी। नयी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सड़कों की देखरेख के लिए सरकार अपने स्तर से नियमानुसार निर्माण एजेंसियों को चुनती है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.6.2019)**

अब बाढ़, भूकंप और दंगों से वाहन को हुए नुकसान पर भी मिलेगा बीमा कवर

अब वाहन खरीदते समय थर्ड पार्टी बीमा के साथ ऑन डैमेज पॉलिसी खरीदना जरूरी नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा ने 1 सितम्बर से बीमा कंपनियों को ऑन डैमेज पॉलिसी अलग से देने को कहा है। यह पॉलिसी नए और पुराने दोनों चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए ली जा सकेगी। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है। ऑन डैमेज पॉलिसी में भूकंप, बाढ़ और दंगों में होने वाले वाहनों को नुकसान भी कवर कराने के विकल्प दिए जाएँगे। इरडा का यह नया आदेश 1 सितम्बर 2019 से जारी होगा। हालांकि गाड़ी खरीदते वक्त थर्ड पार्टी बीमा लेना पहले की ही तरह जरूरी होगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 24.6.2019)**

ऑनलाइन जारी होगा वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट

वाहनों के प्रदूषण जाँच के नाम पर कोई वाहन चालक फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेंगे। प्रदूषण जांच की फर्जी सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाएँगे। वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम, बिना प्रदूषण जाँच सर्टिफिकेट वाले वाहनों का डेटा संग्रह करने और फर्जीप्रदूषण सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग प्रदूषण सर्टिफिकेट को अनलाइन करने जा रहा है। **(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 16.6.2019)**

बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पोस्टर लगवाएगा

पर्यटन विभाग, प्लेन में यात्रियों को दिया जाएगा ब्रोसर

सरकार ने बिहार के पर्यटक स्थालों को प्रचारित-प्रसारित करने की रणनीति बनाई है। पर्यटक स्थलों की ब्रांडिंग देश ही नहीं, विदेशों में भी की जाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग को प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा। लोगों को बिहार के पर्यटन की तरफ आकर्षित करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग देश के साथ विदेश के बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पोस्टर लगवाएगा। कुछ प्रमुख रूट के प्लेन में भी बिहार के पर्यटन से संबंधित ब्रोसर यात्रियों को दिए जाएंगे। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत चल रही है। टेलीविजन चैनल पर भी बिहार पर्यटन का विज्ञापन दिया जाएगा। **(दैनिक भास्कर, 24.6.2019)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org